परिपत्र–19 कृषि–1(2)/137/2021

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2021

विषय – उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019–20) की दिनांक 13.07.2021 को सम्पन्न बैठक में बंदियों के खाने के मैन्यू में सब्जियों की विविधता हेतु दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1249जेएल/22–3–2021–59/2015टी0सी0, दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019–20) की दिनांक 13.07.2021 को हुयी बैठक में मा0 समिति द्वारा इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि कारागारों में भ्रमण/निरीक्षण के दौरान बंदियों द्वारा यह बताया जाता है कि कारागार में उनको प्रायः एक प्रकार की सब्जी जिसका कारागार में उत्पादन होता है, लगातार खाने को दी जाती है, इससे बंदी ऊब जाते है, बंदियों के खाने के मैन्यू में सब्जियों की विविधता होनी चाहिए तथा हरी सब्जियॉ भी उगाई एवं खिलाई जानी चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बंदी भोजन हेतु निर्धारित मैन्यू के अनुसार कारागार के कृषि फार्मो में सब्जियों के उत्पादन में विविधता रखी जाए। बंदियों के भोजन को रूचिकर एवं स्वादमय बनाने हेतु एक ही प्रकार की सब्जी बंदियों को प्रतिदिन खाने में न दी जाए, प्रतिदिन बदल–बदल कर सब्जी दी जाय।

24/8/21

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0– /कृषि–1 (2)/137/2021 तद्दिनांकित– अगस्त, 2021

प्रतिलिपि अनुसचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–1249 जेएल/22–3–2021–59/2015टी0सी0, दिनांक 20 जुलाई, 2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि, परिक्षेत्रीय, उप महानिरीक्षक कारागार, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी एवं आगरा परिक्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने निरीक्षणों में इसे प्राथमिकता का बिन्दु बनायें।

(वी0 पी0 त्रिपाठी)
उप महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।